

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2217280, 2227672

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/1614

आदेश

दिनांक: 11.02.2026

सां.आ.159/2026 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों के निपटाने के संबंध में निर्देश देता है कि आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुये और नीचे पैरा-4 में समाविष्ट अनुदेशों के अधीन रहते हुये निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों को नीचे बताते हुये ढंग से निपटाया जा सकेगा :-

(1) नियम 75 (क) के अधीन निर्देश :

- (क) मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा लौटाये गये और नियम 75 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रतिपर्ण सहित अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेटों को जो दो तालों (Double lock) वाले स्टील ट्रकों में 6 माह की अवधि तक रखे हुये हैं, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् कोषागार में रखा जायेगा और तत्पश्चात् नष्ट कर दिया जायेगा।
- (ख) रिटर्निंग अधिकारी के पास मतदान केन्द्रों पर उपयोग करने के लिये पीठासीन अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हुये अवितरित मतपत्रों का प्रतिपर्ण सहित स्टॉक, मतदान के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को वापिस कर दिया जायेगा और जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार के मतपत्रों को 6 माह तक रखेगा तत्पश्चात् उसके पर्यवेक्षण के अधीन ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से उन्हें नष्ट किया जा सकेगा।

2. नियम 75 (ख) के अधीन निर्देश :

- (क) नियम 74 में निर्दिष्ट प्रयुक्त मतपत्रों चाहे वे गिने हुये हों, रद्द हों, विधि मान्य हो या निविदत्त हो, के मोहरबन्द पैकेटों को (उन पैकेटों को छोड़कर जिनमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण रखे हैं), और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकेटों, प्ररूप-14क में मतदाताओं के रजिस्ट्रों से युक्त पैकेट, निर्वाचकों द्वारा और उनके हस्ताक्षरों के सत्यापन की घोषणाओं के पैकेटों को जिन्हें मोहरबन्द स्टील के ट्रकों में रखकर दो तालों में बन्द करके कोषागार में रखा गया है, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक रखा जावे और फिर नष्ट कर दिया जावे।
- (ख) नियम 74 तथा नियम 75 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों वाले पैकेटों को निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक रखा जायेगा और उसके बाद, सिवाय उन मामलों के जिनके संबंध में निर्वाचन याचिकायें या निर्वाचन अपीलें, या प्रतिरूपण के लिये अभियोजन विद्याराधीन हो, सभी मामलों में आयोग के अनुमोदन पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा।

(3) नियम 75 (ग) के अधीन निर्देश :

- (क) अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट कागज-पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से 6 माह बीत जाने पर नष्ट कर दिया जायेगा,
- (ख) आक्षेपित मतों की सूची (प्ररूप-13) और आक्षेप फीस की वसूली के लिये उपयोग में ली गई रसीद, बुक, निवारक निरोध में रोके गये मतदाताओं को डाक मतपत्रों के प्रेषण रजिस्टर और नाम निर्देशन पत्रों के प्ररूपों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से 5 वर्ष व्यतीत होने से पूर्व, या उनकी लेखा परीक्षा होने और यदि लेखा परीक्षा की आपत्तियों का यदि कोई हो, निराकरण हो जाने तक, जो भी पहले हो नष्ट नहीं किया जाना चाहिये,

- (ग) किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश उस निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियुक्ति सम्बन्धित हो, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिये,
- (घ) अन्तिम परिणाम-पत्र (प्ररूप-21) और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा (प्ररूप-22) को निर्वाचन के स्थाई अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिये,
- (ङ) निक्षेपों से संबंधित रजिस्ट्रों को राजस्व रजिस्ट्रों को नष्ट किये जाने की रीति के अनुसार ही नष्ट किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्ट्रों को दस (10) वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।

(4) याचिका के अनिर्णित रहने तक कागज-पत्रों को रोके रखना :

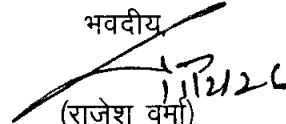
जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिये लम्बित पड़ी है, या निर्वाचन संबंधी कोई अन्य मामला न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिये लम्बित पड़ा हो, तो उनसे संबंधित कागजात, जैसा कि उपरोक्त पैरा (1), (2) तथा (3) में बताया गया है, ऐसी याचिका या मामलों के अंतिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किया जावे।

(5) निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों के निस्तारण की रीति :

निर्बन्धित या गोपनीय कागज-पत्रों सहित सभी निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयुक्त मतपत्र और उनके प्रतिपण, निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों आदि के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जावे और उसके पश्चात् उसकी लुग्दी बना दी जावे जिसे कागज आदि दुबारा बनाने के प्रयोग किये जा सकें। निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टुकड़े राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावें तथा संबंधित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण-पत्र भी रिकार्ड किया जावे।

इस सम्बंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 1442 दिनांक 08.05.1996 (सां.आ. 20/95) को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

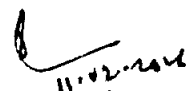
संलग्न: एक

भवदीय,

 (राजेश वर्मा)
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
 एवं सचिव
 दिनांक :- 11.02.2026

क्रमांक: एफ. 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/1615-1620

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाने, राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।


 (अम्बालाल मीणा)
 उप सचिव

परिणाम की घोषणा के 6 माह पश्चात् नष्ट कर दिये जान वाले कागज-पत्रों की सूची

क्र.सं.	कागज-पत्रों का विवरण	
1.	निर्वाचन का लोक नोटिस।	प्ररूप-2
2.	नियम-15 के अधीन विधिमान्यतः अभ्यर्थियों की सूची।	प्ररूप-4
3.	अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना।	प्ररूप-5
4.	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।	प्ररूप-6
5.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप-7
6.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप-8
7.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप-9
8.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप-10
9.	अंधे और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची।	प्ररूप-12
10.	निविदत्त मतों की सूची।	प्ररूप-14
11.	किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियाँ।	नियम-30(3)
12.	मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर रद्द किये गये मतपत्रों एवं खराब हुये और लौटाये गये मतपत्रों के पैकेट।	नियम-37(6) और 45(2)
13.	पीठासीन अधिकारी द्वारा रखी गई टिप्पणियाँ और अभिलेख, मतदान अभिकर्ताओं द्वारा की गई घोषणायें और कोई अन्य कागज जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी ने माहरबन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हो।	
14.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों के नामों की सूची।	
15.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों से डाक-मतपत्र द्वारा मतदान करने की अनुमति के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र।	
16.	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन एवं निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण-पत्र।	प्ररूप-15 प्ररूप-16
17.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति एवं कार्यालय प्रतियाँ।	प्ररूप-19
18.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप-20
19.	मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र।	नियम-67
20.	प्रतिपण सहित अप्रयुक्त मतपत्र	
21.	मतों की गणना के समय, स्थान एवं दिनांक आदि की सूचना।	
22.	रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों व निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं के बीच पत्र व्यवहार।	
23.	प्रतीकों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र।	
24.	क्षतिग्रस्त पत्र मुद्रायें और अप्रयुक्त मुद्रायें जो पीठासीन अधिकारियों से वापस प्राप्त हुयी हैं।	
25.	पीठासीन अधिकारी से प्राप्त सामान्य रिपोर्ट, डायरियां व ज्ञापन, नोट बुकें आदि।	
26.	नियम 30 के उप नियम (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन नोटिस।	
27.	ऐसे पैकेट जिनमें मतदान और मतों की गणना के दौरान उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं द्वारा आक्षेप रखे हैं।	
28.	मतों की गणना के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई कार्यवाहियों के मोहर बन्द पैकेट।	
29.	मतों की गणना के लिये चैक मीमों के माहर बन्द पैकेट।	
30.	मतपत्र लेखा।	प्ररूप-17
31.	निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ मतपत्र लेखा।	प्ररूप-18
32.	प्रयुक्त पेपर सील का अभिलेख।	
33.	प्रचार सामग्री जैसे दीवार पर लगाने के पोस्टर, हैण्ड-बिल और निर्वाचन के समय उम्मीदवारों द्वारा जारी किये गये खुले बयान।	